



## U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

9<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928  
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
९वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - ९२८,  
१४- अशोक मार्ग, लखनऊ - २२६ ००१

पत्रांक: सचिव/उ०नि०लि०/जी-३/१५५६

दिनांक : नवम्बर २२, २०१३

### कार्यालय ज्ञाप

निगम के निदेशक मण्डल की १५६वीं बैठक जो दिनांक ०६.०९.२०१३ को सम्पन्न हुयी के क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं० ८५-उ०नि०लि०/रिफार्म/विनियम/२०१३ दिनांक २८.०९.२०१३ द्वारा निगम में कार्य सम्पादन/कय हेतु गठित निदेशक निविदा समिति को वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० ई-१०-७९५ क/दस-२०१३-७०६/२००६ दिनांक ०७.११.२०१३ में निहित आदेशों के क्रम में यथा संशोधित करते हुए, निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नवत् पुर्नगठित किया जाता है :-

१.	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य
२.	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
३.	निदेशक (वित्त)	सदस्य
४.	मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)	सदस्य
५.	मुख्यालय पर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता	सदस्य
६.	मुख्य अभियन्ता (टाम)	विशेष आमंत्री

उपरोक्त निदेशकों में से वरिष्ठतम निदेशक उक्त समिति का अध्यक्ष होगा तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करेंगे एवं मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम) समिति के संयोजक का कार्य करेंगे। इस समिति द्वारा उन्हीं प्रकरणों में निर्णय लिया जायेगा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया हो।

- क- उक्त समिति रू० ०१ करोड़ से अधिक एवं रू० १० करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी।
- ख- निगमादेश सं० सचिव/उ०नि०लि०/जी-३/६१३ दिनांक ११.०४.२०१३ के द्वारा गठित कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम अब रू० १० करोड़ से रू० २५ करोड़ की अधिकतम सीमा तक पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित प्रकरणों में निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी।
- ग- रू० २५ करोड़ से अधिक के पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण के प्रकरणों में कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव पूर्व की भाँति निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।



**U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.**

9<sup>th</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn., Room No. 928  
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
९वें तल, शक्ति भवन विस्तार, कक्ष संख्या - 928,  
14- अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

घ- रू० 01 करोड़ से अधिक के पूंजीगत प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित दोनों समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों को निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त माना जायेगा। उक्त आदेश जारी होने की तिथि से लागू माने जायेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/ईंधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/मानव संसाधन/आर० एण्ड एम०/वाणिज्य/कारपोरेट स्ट्रेटजी/टॉम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उनिलि, लखनऊ।

*(Handwritten Signature)*  
( एच० के० अग्रवाल )  
कम्पनी सचिव